



www.rera.rajasthan.gov.in | RERA No. RAJ/P/2023/2387



काल करे सो आज कर आज करे सो अब कल से 5 लाख रेट बढ़ेगी बुकिंग करवाओगे कब ?

₹ 4000/- में फ्लैट

₹ 5000/- में कोठी

FIXED PRICE



PRODUCT TYPE	UNIT TYPE	SIZE	FIXED PRICE
WALK-UP APARTMENT	2 BHK (GF)	1350 Sq Ft	65 LACS
	3 BHK (SF)	1900 Sq Ft	75 LACS
	3 BHK (FF)	1900 Sq Ft	80 LACS
KOTHI	3 BHK BIG	2000 Sq Ft	1.05 CRORE
	4 BHK BIGGER	2325 Sq Ft	1.25 CRORE
	4 BHK BIGGEST	3200 Sq Ft	1.55 CRORE



1800-120-2323

info@kedia.com
www.kedia.com
78770-72737



आन्दोलन
अशुद्ध के विरुद्ध

KEDIA™
Pavitra



आप कौनसी चक्की का आटा खाते हो ?

केसरी जुबान वाले
अंकल की ?

सड़क किनारे
धूल मिट्टी खाती ?

जर्जर हो चुकी
मशीन वाली ?

गेहूँ मिलावट
का केन्द्र ?

सालों से साफ
नहीं करी हुई ?

चूहों और कॉकरोचों
का पार्टी स्थल ?

या

16 STEP FULLY
AUTOMATED SWISS TECH
BÜHLER PLANT WALA

FROM CORE
WHEAT
GROWING
REGIONS

HIGH FIBER.
SOURCE
OF PROTEIN

DESHI CHAKKI AATA
5 kg | MRP ₹ 250



MEDIUM
SIZE
GRANULES

IDEAL
FOR HALWA
& UPMA

SEMOLINA (SUJI)
500 g | MRP ₹ 45



MADE FROM
MP SHARBATI
WHEAT
GRAINS

HIGH FIBER.
SOURCE
OF PROTEIN

SHARBATI SUPERIOR AATA
5 kg | MRP ₹ 350



रिटेलर हो या कस्टमर
कॉल लगाओ, गाड़ी बुलाओ

1800 120 2727

ORDER ON
WEBSITE



ORDER ON
WHATSAPP



ORDER ON
APP



ORDER ON
ZEPTO



54000+ RETAILERS SUPERMARKETS ZEPTO WEBSITE WHATSAPP APP TOLL FREE

*T & C Apply

मोदी-शाह जोड़ी ने अपनी पूरी पावर व प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है बंगाल के चुनाव में

इससे यह छवि तो बखूबी बनी है कि भाजपा तो जीत ही रही है

रेणु मिश्र-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो।
नई दिल्ली, 29 अप्रैल। पश्चिम बंगाल के गर्म और कड़े मुकाबले वाले चुनावों के बाद, अब सबकी नजर यह देखने पर है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है।
सबसे बड़ी दिलचस्पी पश्चिम बंगाल के चुनाव में है, जहाँ मोदी-शाह की जोड़ी ने अपनी पूरी ताकत, संसाधन और प्रभाव लगा दिया है, ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि वे निश्चित रूप से जीतने वाले हैं।

एग्जिट पोलस अलग-अलग तस्वीरें पेश कर रहे हैं। कई एग्जिट पोल यह दिखा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस आगे है और सरकार बनाने के लिए तैयार है, जबकि कुछ में भाजपा को मामूली बढ़त दिखाई जा रही है। ऐसे चैनल जैसे रिपब्लिक, जिन्होंने भाजपा के करीब और उसके मुखपत्र के रूप में देखा जाता है, इन पोल में शामिल हैं। इनकी अधिकांश फंडिंग भी भाजपा से आती है।

- हालांकि, "एग्जिट पोल्स" एक विभाजित कुछ मिला-जुला सा निष्कर्ष पेश कर रहे हैं।
- कुछ तृणमूल कांग्रेस को आगे बता रहे हैं, और सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है। कुछ अन्य चैनल, भाजपा को आगे दिखा रहे हैं और यह जता रहे हैं कि भाजपा जल्दी ही सरकार बनाने की तैयारी में है।
- इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भाजपा एक तरह से बहुत "बैचेन" है कि किसी भी तरह से बंगाल में चुनाव जीतना ही है।

ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि भाजपा 50 सीटें पार नहीं करेगी। असम में अधिकांश एग्जिट पोल भाजपा की बड़ी जीत दिखा रहे हैं, जबकि कांग्रेस काफी पीछे है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 29 सीटें मिली थीं और इस चुनाव में भी ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस उसी के आस-पास रह सकती है।

केरल में अधिकांश एग्जिट पोल कांग्रेस-नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत दिखा रहे हैं, जबकि एलडीएफ पीछे है। भाजपा 1-2 सीटें जीतने के आस-पास ही बनी हुई है। केरल में लेफ्ट पार्टी दो बार जीत चुकी है और तीसरी बार जीत की संभावना बहुत कम है, इसलिए कांग्रेस के सत्ता में लौटने की संभावना अधिक है।

तमिलनाडु में अधिकांश एग्जिट पोल डीएमके-कांग्रेस गठबंधन की जीत और सरकार बनाने का अनुमान दिखा रहे हैं, जबकि एक पोल टीवीके के बडे

लाभ की संभावना दिखा रहा है और एक-दो पोल अन्नाद्रमुक पर दांव लगा रहे हैं। तमिलनाडु में त्रिंशुकु विधानसभा की संभावना नहीं दिख रही है।

तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के अनुसार, इस चुनाव का पूरा ध्यान भाजपा की बड़ी ही स्पष्ट बेचैनी पर रहा है, जो किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में सत्ता हथियाने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि बात यह है कि भाजपा ने दिखा दिया है कि वह सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वह वोट चोरी हो, एजेंसियों का दुरुपयोग, डिजिटल किए गए बाइनरी वोटर या कोई भी तरीका हो।

तृणमूल नेताओं ने कहा, लेकिन और भी बुरी बात यह है कि शिक्षित वर्ग भी इस प्रयास में भाजपा का समर्थन कर रहा है और संदेश भेज रहा है कि भाजपा को जीतने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए, जिसमें असंवैधानिक और अवैध तरीके भी शामिल हैं।

कोटा में मगरमच्छ के हमले से चरवाहे की मौत

कोटा, 29 अप्रैल (निस)। खातौली थाना इलाके के घटोद गांव में मगरमच्छ के हमले में एक चरवाहे की मौत का मामला सामने आया है। यह हादसा रामगढ़ विधायी टाइगर रिजर्व के चंबल नदी के तट पर हुआ है। पता चला है कि चरवाहा नदी किनारे पहुंचा, तभी अचानक मगरमच्छ उसे पकड़कर नदी में खींच ले गया। मौके पर मौजूद उसके दो बेटों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। मगरमच्छ के इस हमले में एक बेटा घायल हो गया।

खातौली थाना अधिकारी देशराज गुर्जर ने बताया कि बागली पंचायत के

- चरवाहा नदी के नजदीक पानी पीने पहुंची बकरियों को हटा रहा था कि एक बड़ा मगरमच्छ चंद सैकड़ में ही उसे नदी में खींच कर ले गया।

घटोद गांव निवासी 45 वर्षीय मुरली अपने दो बेटों चंद्रप्रकाश और गोलू के साथ बकरियां चराने गया था। वह नदी के नजदीक पानी पीने के लिए पहुंचे बकरियों के झुंड को हटाने का प्रयास कर रहा था, तभी एक बड़े मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और चंद सैकड़ में ही मगरमच्छ मुरली को नदी में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

द्वितीय चरण का मतदान पूर्ण होने पर बंगाल ने चैन की सांस ली

यह प्रजातंत्र की जीत मानी जा सकती है कि बिना चुनावी हिंसा, हत्याओं की पुनरावृत्ति के बिना पचास साल बाद जनता आगे बढ़कर बिना भय के वोट देने आई

-अंजन रांय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 अप्रैल। पश्चिम बंगाल ने पूरे राज्य में केन्द्रीय बलों की बेहद कड़ी निगरानी में हुए कठिन चुनाव के बाद राहत की सांस ली। यह एक ऐसा मतदान साबित हुआ, जिसमें राजनीतिक हिंसा से कोई हत्या या मृत्यु नहीं हुई।

मतदान के दूसरे चरण में कोई बड़ी घटनाएँ नहीं हुईं। इस प्रकार यह चुनाव एक मील का पत्थर बन गया और 1977 में लेफ्ट फ्रंट की सत्ता में आने के बाद शुरू हुई हिंसक चुनाव प्रक्रियाओं में स्पष्ट विराम दर्शाता है।

सत्तारूढ़ दल के बाहुबली नेताओं की कोई बड़ी धमकी न होने के कारण, जैसी कि पिछले पांच दशकों में सामान्य तस्वीर थी, लोग बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने निकले। शाम छह बजे के बाद भी मतदान केन्द्रों

- बंगाल के चुनाव की "थीम" व नारा था, "परिवर्तन" और भाजपा ने इस नारे को बड़ी होशियारी से पूरे चुनाव में उपयोग किया।

- हालांकि, "एग्जिट पोल" भाजपा की जीत की संभावना जता रहे हैं, पर, सही बात तो यह है, वोटिंग एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई "फैक्टर" सक्रिय होते हैं और कौन सा "फैक्टर" प्रभावी हो जाए वह अंदाज़ लगाना बहुत कठिन है।

- पर, एक "फैक्टर" पुरजोर ढंग से उभरकर आता है, भारी संख्या में जनता ने जमकर वोट दिया है और "वोटिंग परसन्टेज" पुराने मतदान के वोटिंग प्रतिशत से कहीं ज्यादा है और संभवतया इस बार फर्ज़ी वोटिंग भी नहीं कर पाए बाहुबली।

के बाहर लंबी कतारें लगी हुई थीं, जहाँ लोग धैर्यपूर्वक वोट डालने की प्रतीक्षा कर रहे थे।

इस अपूर्वपूर्व उत्साह को देखते हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आदेश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'प.बंगाल में मामूली बढ़त के साथ जीत सकती है भाजपा'

प.बंगाल चुनाव पर प्रसारित एग्जिट पोल्स में से कुछ एग्जिट पोल्स ने यह निष्कर्ष निकाला है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 अप्रैल। अब तक जारी एग्जिट पोल के अनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे मिश्रित दिख रहे हैं। तीन पोलस्टर्स में से दो भाजपा को मामूली जीत दिखा रहे हैं, जबकि एक पार्टी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्ण जीत की भविष्यवाणी कर रही है।

पीपुल्स पल्स, मैट्रिज़ तथा पी-मार्क ने अब तक अपने आंकड़े जारी किए हैं।
पहले एग्जिट पोल के अनुसार, मैट्रिज़ ने भाजपा को बंगाल में मामूली बढ़त दी है। मैट्रिज़ ने भाजपा को 146-161 सीटें दी हैं और तृणमूल कांग्रेस को 120-140 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रखा है।
लेकिन पीपुल्स पल्स ने तृणमूल कांग्रेस की जीत का अनुमान लगाया है।

प.बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 91.41 प्रतिशत रहा

कोलकाता, 29 अप्रैल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण में भी छिटपुट हिंसा के बीच बंपर मतदान हुआ। राजधानी कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के सात जिलों की 142 सीटों के लिए 91.41 प्रतिशत मतदान हुआ। मतगणना चार

- राजधानी कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के सात जिलों में छिटपुट हिंसा के बीच भारी मतदान हुआ।

मई को होगा और नतीजे भी दोपहर 12 बजे तक स्पष्ट हो जाएंगे कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी।
दूसरे और आखिरी चरण में कुल 1,448 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। इस चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत 25 मई तक बढ़ाई

जयपुर, 29 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उन्नीडन मामले में आसाराम के आरोपों की सजा भुगत रहे आसाराम को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को 25 मई तक बढ़ा दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की

- आसाराम के अधिवक्ता ने अपील की थी कि वे अंतरिम जमानत पर इलाज करा रहें। स्वास्थ्य की स्थिति देखते हुए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई गई।

खंडपीठ ने यह आदेश आसाराम की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि जवाई क्षेत्र में जो भूमि बांध और भ्रार क्षेत्र के लिए चिन्हित की गई है, वहां पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं होगी, क्योंकि इससे पर्यावरण को और साथ ही पक्षियों की कुछ प्रजाति, जो जमीन पर अंडे देती हैं, उन्हें भी खतरा होता है।

याचिकाकर्ता अपूर्वा अग्रवाल की ओर से दायर जनहित याचिका में जवाई

प.बंगाल में कुछ बूथों पर मतदान रोका चुनाव आयोग ने

चुनाव आयोग ने यह आदेश भाजपा की शिकायत पर दिए, भाजपा ने डायमंड हार्बर के कुछ बूथों में तृणमूल द्वारा ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था

- जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो।
नई दिल्ली, 29 अप्रैल। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में फाल्टा के कुछ बूथों पर मतदान रोका दिया गया है, क्योंकि भाजपा ने आरोप लगाया है कि दूसरे चरण के चुनावों में तृणमूल ने ईवीएम में छेड़छाड़ (टेम्परिंग) की है। साउथ 24 परगना जिले का डायमंड हार्बर लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं।

भाजपा ने आरोप लगाया है कि साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर क्षेत्र के फाल्टा में कई मतदान बूथों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर उसका बटन टैप से ढका गया है। इस आरोप को नकारते हुए, तृणमूल ने कहा कि भाजपा बंगाल में

- भाजपा ने आरोप लगाया था कि डायमंड हार्बर सीट के फाल्टा क्षेत्र में कुछ बूथों पर ईवीएम में भाजपा के बटन पर टैप लगाई गई थी। भाजपा का आरोप था कि यह सब तृणमूल कांग्रेस ने करवाया है।

- भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर ऐसा एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक पोलिंग बूथ में ईवीएम के तीसरे बटन पर टैप लगा हुआ था। उन्होंने इन क्षेत्रों में दोबारा मतदान कराने की मांग की है।

हार रही है, इसलिए यह झूठी अफवाह फैला रही है। पार्टी ने चुनाव आयोग और पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा (आईपीएस अधिकारी जिन्हें "सिंघम" कहा जाता है) पर भी निशाना साधा, जिन पर पहले उनके उम्मीदवार जहाँगीर खान को घमकी देने का आरोप लगाया गया था।

चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा था कि यदि ऐसी रिपोर्ट आती हैं, तो उनकी जांच की जाएगी और यदि सही पाई गई, तो उन बूथों पर पुनः मतदान कराया जाएगा।

भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित

मालवीय ने फाल्टा के उन सभी प्रभावित बूथों में पुनः मतदान की मांग की है, जहाँ उन्होंने इस तरह की चुनावी अनियमितताएँ होने का आरोप लगाया है।

उन्होंने एक पोस्ट में कहा, "कई मतदान बूथों में भाजपा के लिए मतदान करने का विकल्प टैप से ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे मतदाता अपने मताधिकार प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। यही है तथाकथित "डायमंड हार्बर मॉडल", वही तरीका, जिससे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को उनकी लोकसभा सीट मिली।"

अमित मालवीय ने फाल्टा के हरिदांगा हाई स्कूल के एक बूथ का वीडियो भी साझा किया, जिसमें ईवीएम के तीसरे बटन (भाजपा के कमल चिन्ह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ममता बनर्जी ने कालीघाट मंदिर में पूजा की

कोलकाता, 29 अप्रैल। भवानीपुर विधानसभा सीट की उम्मीदवार एवं तृणमूल सुप्रिमो ममता बनर्जी बुधवार शाम भवानीपुर के मित्रा इंस्टीट्यूशन में मतदान करने के बाद, बूथ से निकलकर सीधे कालीघाट मंदिर पहुंचीं।

जानकारी के अनुसार, वहां उन्होंने देवी काली के दर्शन किए और राज्य के

- वे हर चुनाव में मतदान के बाद इस मंदिर में पूजा करती हैं।

लोगों की शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। हर बार वोटिंग वाले दिन वे मित्रा इंस्टीट्यूशन में वोटिंग के बाद कालीघाट मंदिर जाने की परंपरा निभाती हैं। आज भी उन्होंने उस नियम का पालन किया। मंदिर में पूजा-अर्चना करते हुए वे वहां मौजूद आम लोगों और भक्तों से बात भी करती दिखाईं। मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पूजा-अर्चना के बाद वे अपने घर के लिए निकल गईं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में किसी नए होटल-रिसोर्ट का लाइसेंस जारी नहीं करें

-कार्यालय संवाददाता-
जोधपुर, 29 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने पाली जिले के जवाई लैपड सफारी क्षेत्र में नए निर्माण पर पाबंदी, खनन सहित होटल-रिसोर्ट के नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस डॉ. पुणेन्द्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। अब इस प्रकरण की सुनवाई 6 सप्ताह बाद पुनः होगी।

हाईकोर्ट ने जवाई लैपड कंजर्वेशन रिजर्व और तेंदुओं की आवाजाही वाले पूरे लैंडस्केप में (गांवों की आबादी में वंश अनुमति वाले निर्माण को छोड़कर) किसी भी नए व्यावसायिक निर्माण और खनन गतिविधियों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने लैपड (तेंदुएं) के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करने के मामले में

सुनवाई के बाद यह रिपोर्ट बल फैसला सुनाया है। फिलहाल नाइट सफारी यहां पूरी तरह बंद रहेगी। कोर्ट ने वन विभाग की ओर से तैयार किए गए ड्राफ्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार और वन्यजीव बोर्ड को इस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने पर विचार करने को कहा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जवाई लैपड सफारी क्षेत्र के कोर एरिया में लैंड यूज चेंज करने (भू-उपयोग परिवर्तन) की अनुमति नहीं होगी। साथ ही अन्य आसपास के क्षेत्र में भी अगर भूमि उपयोग की अनुमति दी जाए तो उससे पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे तेंदुओं की प्राकृतिक आवाजाही में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। जवाई क्षेत्र को न तो छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा

- राज्य सरकार को इस क्षेत्र को अभयारण्य बनाने पर विचार करने की सलाह दी, फिलहाल यहां नाइट सफारी बंद रहेगी।
- उच्च न्यायालय ने वन विभाग की ओर से तैयार किए गए ड्राफ्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं।

और न ही किसी तरह की तारबंदी की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि जवाई क्षेत्र में जो भूमि बांध और भ्रार क्षेत्र के लिए चिन्हित की गई है, वहां पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं होगी, क्योंकि इससे पर्यावरण को और साथ ही पक्षियों की कुछ प्रजाति, जो जमीन पर अंडे देती हैं, उन्हें भी खतरा होता है।

याचिकाकर्ता अपूर्वा अग्रवाल की ओर से दायर जनहित याचिका में जवाई

क्षेत्र की विशिष्ट ग्रेनाइट पहाड़ियों और गुफाओं को लैपडर्स के लिए अनुदा आवास बताया गया। इसमें याचिकाकर्ता ने बताया कि जवाई क्षेत्र में लैपडर्स की संख्या 50 से 70 के बीच है, जो इसे देश के सबसे घने लैपड आवासों में से एक बनाती है। हालांकि अनियंत्रित इको-टूरिज्म, अवैध खनन और लगातार हो रहे निर्माण से यह संतुलन बिगड़ रहा है। सुनवाई के दौरान

सरकार की ओर से वकीलों ने बताया कि जवाई में लैपडर्स आवास अधिकतर वन क्षेत्र से बाहर राजस्व और निजी भूमि पर है। इससे उनकी निगरानी में जटिलता आती है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जब विरोध चीतों को बसाने के लिए बड़े प्रयास हो सकते हैं तो लैपड जवाई जैसे दुर्लभ प्राकृतिक आवास की रक्षा भी दृढ़ता से होनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने वन विभाग के अधिकारियों (डीसीएफ कस्तुरी प्रशांत सुले, एसीएफ साहिल पोसवाल, मुख्य वन संरक्षक अनूप के.आर तथा प्रद्युम्न) द्वारा तैयार की गई ड्राफ्ट एसओपी को तुरंत लागू किया है। इसमें जिन स्थानों का रजिस्ट्रेशन, जीपीएस मॉनिटरिंग, रूट और सूर्योदय से सूर्यास्त तक सफारी जैसे नियम शामिल हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वे वन्यजीव

संरक्षण अधिनियम की धारा 8 और 18 के तहत इस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की संभावना पर गंभीरता से विचार करें। जवाई बांध के मुख्य क्षेत्र और ओवरफ्लो ज़ोन में वन्यजीवों व पक्षियों की सुरक्षा के लिए वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। नाइट सफारी पहले की तरह पूरी तरह बंद रहेगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस एसओपी में समय के साथ और बिंदु भी जोड़े जा सकते हैं, इसके बाद इसे लागू करने के लिए कोर्ट में पुनः प्रस्तुत किया जा सकेगा।

इस मामले में याचिकाकर्ता अपूर्वा अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता करण सिंह शेखावत और महेंद्र कुमार गुर्जर ने पैरवी की। वहीं, प्रतिवादी पक्ष (राज्य सरकार व अन्य) की ओर से अतिरिक्त (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

